ज्योति कुमार कश्यप
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–xv (Successor), भागलपुर।
जमानत आवेदन संख्या– 283/2026 (नाथ नगर थाना कांड संख्या–407/2025)
आयुष कुमार उर्फ आयुष प्रताप बनाम् बिहार सरकार
दिनांक–08.05.2026

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XV (Successor), भागलपुर।

जमानत आवेदन संख्या– 283/2026

संबंधित :– भागलपुर नाथनगर थाना कांड संख्या– 407/2025

अन्तर्गत धारा– 140(3), 103(1), 238, 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 25(1–बी)ए, 26, 27/35 आर्म्स एक्ट

आयुष कुमार उर्फ आयुष प्रताप, उम्र– 19 वर्ष, पिता– नटवर साह, सा0–मिर्जापुर, थाना–नाथनगर , जिला–भागलपुर।

..... आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

अपराधिक इतिहास– शून्य (जमानत आवेदन के पारा 3 के अनुसार)

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता :– श्री मनीष कुमार

बिहार सरकार की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक :– श्री हरि कृष्ण सिंह

आदेश

08.05.2026

1. आवेदक/अभियुक्त की ओर से भागलपुर नाथनगर थाना कांड संख्या– 407/2025 अन्तर्गत धारा–140(3), 103(1), 238, 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 25(1–बी)ए, 26, 27/35 आर्म्स एक्ट में जमानत हेतु आवेदन दिनांक–17.03.2026 को दाखिल किया गया। जिसमें आवेदक अभियुक्त दिनांक–29.12.2025 से न्यायिक हिरासत में है। तत्पश्चात प्रस्तुत जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में दाखिल नही किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक के घर या उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। इस मामले की कोई भी धारा आवेदक के विरूद्ध लागू नहीं होती। इस मामले में आवेदक उचित बंधपत्र एवं प्रतिभूति देने के लिए तैयार है। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि उसे जमानत देने की कृपा की जाए।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक– श्री हरि कृष्ण सिंह, द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

4. लिखित आवेदन के अवलोकन से यह विदित होता है कि यह प्राथमिकी सूचक संतोष कुमार के द्वारा दर्ज कराते हुए कहते हैं कि दिनांक 23.12.2025 को संध्या 07:35 बजे सूचक का भगिना अभिषेक कुमार उम्र–27 वर्ष, पिता–धर्मेन्द्र दास, ग्राम–मकसपूर, थाना–कहलगांव, जिला–भागलपुर, सूचक के साथ चार वर्ष पूर्व से रह कर उसके कारोबार में सहयोग करता था। वह सूचक को घर से कह कर निकला कि वह

बाजार से आ रहा है, परंतु रातों–रात घर वापस नहीं आया तो उन लोगों ने खोजबीन करने लगे तो दिनांक 24.12.2025 को सुबह 8 बजे उसके फोन से बात हुई है तो बोला कि दोपहर 12:00 बजे तक घर आ जाएगे अभी वह जमालपुर में है। जब वह समय पर घर नहीं आया तो और उसका मोबाईल नं0– 8709231616 बंद मिलने लगा तो थाना में जाकर सूचना दिया

5. सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा– 140(3), 103(1), 238, 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 25(1–बी)ए, 26, 27/35 आर्म्स एक्ट तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदक का नाम अनुसंधान के दौरान आया है। आवेदक पर मृतक अभिषेक कुमार का बेरहमी से मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप है। सूचक एवं साक्षियों ने आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप की पुष्टि कांड दैनिकी के कंडिका 2, 15 में क्रमशः किया है। कंडिका 10 के अनुसार मृतक के मोबाइल पर कुल 17 बार बात होने के कारण सीडीआर टॉवर लोकेशन मांगा गया जिससे आवेदक और उसके साथियों के बारे में पता चल पाया। कंडिका 54, 55 के अनुसार उसके मित्र ने स्वीकार किया है कि यह घटना को आवेदक और हम लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। एवं कंडिका 56 में आवेदक ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कही है कि इस घटना में उनकी संलिप्तता थी। अनुसंधान पूर्ण होने पर घटना को सत्य पाते हुए अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 24.03.2026 को आरोप पत्र दाखिल किया, एवं दिनांक 04.04.2026 को आवेदक सहित 1. आयुष कुमार 2. राधे कुमार मंडल 3. रितेश कुमार एवं 4. संतोष कुमार के विरूद्ध श्रीमति सदाफ मुस्तफा, न्या0 दण्डा0, प्रथम श्रेणी, भागलपुर द्वारा धारा–140(3), 103(1), 238, 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 25(1–बी)ए, 26, 27/35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। प्राथमिकी धारा में से 140(3) एवं 103(1) भारतीय न्याय संहिता गंभीर है।

6. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक के विरूद्ध विशिष्ट आरोप और आवेदक द्वारा निभाई गई भूमिका के विचारोपरांत, न्यायालय द्वारा आवेदक अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना उचित प्रतित नहीं होता है। तदनुसार, आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निष्पादन किया जाता है।

मेरे द्वारा बोलकर लिखवाया और संशोधित

ह.अधो./
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–xv,(Successor)
भागलपुर